पत्र सं० 409

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

No. 5-1(44)/2008-पीडी

Dated 8 जुलाई, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: एसीआरएस/एपीआरएस की रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग (पुनर्विलोकन) के संबंध में

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती एवं मूल्यांकन पदोन्नति नियमावली, 2001 के अंतर्गत एपीआर ग्रेड/अंक मूल्यांकन पर विचार करने हेतु पात्रता का आधार बनते हैं। इस प्रकार रिपोर्टिंग/पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा दिए गए किसी व्यक्तिनिष्ठ और पूर्वाग्रहपूर्ण ग्रेड का व्यक्ति के वैज्ञानिक कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि रिपोर्टिंग अधिकारी और पुनर्विलोकन अधिकारी अथवा सामान्यीकरण समिति द्वारा दिए गए ग्रेड/अंक के बीच व्यापक अंतर होता है जिसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक- विशेष मूल्यांकन हेतु विचार किए जाने का पात्र नहीं हो पाता जिसके कारण वैज्ञानिक समुदाय में निराशा और व्यापक असंतोष पैदा हो जाता है।

ऐसी स्थिति का निराकरण करने के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर ने निर्णय लिया है कि भविष्य में होने वाले मूल्यांकन हेतु उन मामलों में जिनमें अभ्यर्थी अपने मूल्यांकन की पात्रता के वास्ते एसीआर अंकों की न्यूनतम औसत प्रतिशतता प्राप्त नहीं कर पाता है, प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वर्तमान निदेशक/कार्यकारी निदेशक/प्रभारी निदेशक वर्तमान पद की रेजिडेंसी अवधि की सम्पूर्ण अवधि के लिए एपीआरएस का पुनर्विलोकन या तो स्वयं कर सकते हैं अथवा सामान्यीकरण समिति द्वारा करवा सकते हैं (उन मामलों सहित जिनमें वे रिपोर्टिंग/पुनर्विलोकन अधिकारी अथवा प्रयोगशाला के निदेशक नहीं थे)। ऐसे पुनर्विलोकन के बाद सामान्यीकरण समिति/निदेशक द्वारा जहां कहीं भी एसीआर अंकों को बढ़ाया जाता है, तो ऐसे बढ़ाए गए अंकों के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित रिपोर्ट महानिदेशक, सीएसआईआर को भिजवाई जाए। जिन मामलों में निदेशक रिपोर्टिंग अधिकारी है, वहां निदेशक द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट्स के आधार पर पुनर्विलोकन महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा किया जाएगा।

विगत के जिन मामलों में मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है और किसी विशेष मूल्यांकन वर्ष के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया गया है/उसकी संस्तुति नहीं की गई है, उन मामलों को पुन: प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है। उन पर सिर्फ अगले अवसर हेतु ही विचार किया जाएगा।

जारी.2/-

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788 Gram : CONSEARCH, NEW DELHI E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु उनके ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिः

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव तथा अवर सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. अवर सचिव (के.का.)/उप सचिव (कॉम्प्लेक्स)
9. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स
10. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आरएबी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र (वर्तमान में आईआईटीआर), पोस्ट बॉक्स सं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
13. प्रधान, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर दर्शाएं।

Circular No. 409

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

No. 5-1(44)/2008-PD

Dated 8th July, 2008

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub: Reporting and reviewing of ACRs/APRs -regarding

Sir,

I am directed to state that under CSIR Scientist Recruitment & Assessment Promotion Rules, 2001, APR grading/scores form the basis of eligibility for consideration of assessment. As such, any subjective and bias grading awarded by the Reporting/Reviewing Officer may adversely affect the scientific career of the individual. It has been observed that in a number of cases, there is a wide difference between the grading/scores awarded by the Reporting Officer and the Reviewing Officer or by the Normalization Committee, as a result the individual Scientist is not eligible to be considered for assessment which results in frustration and lot of discontentment among the scientific community.

In order to obviate such situation, DG, CSIR has decided that for future assessment, in cases where the incumbent is not able to secure the minimum averaged percentage of ACR scores for eligibility for his/her assessment, the present Director/Acting Director/director-in-charge of the Labs./Instts. may get the APRs for entire duration of residency period in the present post be reviewed either by himself or through the Normalization Committee (including in those cases where he was not a reporting/reviewing officer or Director of the Laboratory). Wherever, after such a review the ACR scores are upgraded by the Normalization Committee/Director, a report with detailed justification for such an upgradation may be sent to DG, CSIR. In cases where Director is the Reporting Officer, such a review will be undertaken by the DG, CSIR, based on the inputs provided by the Director.

Past cases, where assessment has already taken place, and the incumbent has not been considered/recommended for a particular assessment year, need not to be reopened and only to be considered for subsequent chance.

It is requested to bring the above decision to the notice of all concerned in your Laboratory/Institute for guidance and compliance.

Yours faithfully,
8/7/08
(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

contd....2/page.

Phone : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788, Gram : CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail : csirhg@sirnetd.ernet.in

Copy to:

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. US & PPS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. P.A. to CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Under Secretary (CO)/Deputy Secretary (Complex)
9. Head, URDIP/IPMD/HRDC/RDPD/TNBD/ISTADS
10. All Dy. Secretaries/Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
11. Heads of RAB, CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Industrial Toxicology Research Centre (Now IITR), Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.